(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

बाली देवी पुत्री हरद्दीनराम निवासी कुन्दन नगर, अजमेर जिला अजमेर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 51 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	–: निर्णय :–	
23.01.2025	1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।	
	2. अपीलार्थिया ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 26.10.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थिया द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।	
	3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 2773 दिनांक 17.12.2024 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थिया /प्रार्थी के आवेदन पत्र का जवाब कार्यालय पत्र क्रमांक 2703 दिनांक 09.12.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थिया को प्रेषित कर दिया गया है।	
	4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थिया को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थिया सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थिया को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।	
	5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थिया खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	
न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)	6. निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	